Shri Cumbum N. Natarajan

not been accepted by Tea and Coffee Planters where 8 hours' work is compulsory.

In these small holdings, the organised trade unions are trying to reduce the working hours. A few local workers who are themselves owners of small holdings are demanding reduction in the working hours to look after their own work elsewhere. If this is allowed to become a general rule, then the production of cardamom will suffer grievously. are instances when only two-hours' work is done in a day. When the small holders deduct proportionate wages, they are harassed, manhandled and pressurised to pay full wages by the organised trade-unions. They are unable to pay full revised wages for less than 8 hours' work. The export of cardamom will also decline by 50 per cent if only 5 hours or 4 hours work is done in the plantations. The Government of India issue directives through Cardamom Board that the revised wages agreed to mutually will be made applicable only to 8 hours' work and not less than that. The Central Labour Ministry should intervene in eliminating multiplicity of Trade Unions inter-union rivalry in the interest of the cultivation of this foreign exchange earner.

(iv) ROCK PHOSPHATE FACTORY AT MEGHNAGAR (MP)

श्री दिलोप सिंह भूरिया (झाबुग्रा) : उपाध्यक्ष महोदय मैं नियम 377 के ग्रधीन महत्वपूर्ण विषय को ग्रोर हाउस का ध्यान ग्राकृषित करना चाहता हं :

मध्य प्रदेश के सबसे धिधक पिछड़े हुए एवं धादिवासी झाबुधा जिले के मेघनगर में 5 मिलीयन टन अच्छी किस्म का रॉक फासफेट उपलब्ध है। वर्तमान में माइनिंग कारपोरेशन, मध्य प्रदेश द्वारा इस रॉक फासफेट का माइनिंव किया जाता है एवं कच्चा माल

बाहर की पार्टियों को विकय किया जाता है, जिससे मध्य प्रदेश शासन को कारपोरेशन से रायल्टी के रूप में करोडों रुपए ग्रब तक प्राप्त हो चुके हैं। परन्तु इस क्षेत्र में इतनी प्रचर मात्रा में रॉक फासफेट उपलब्ध होते हुए एवं इस पर श्राधारित उद्योग लगाने की समस्त सुविधायें होते हुए भी इस क्षेत्र में कारखाना नहीं खलने से भंयकर ग्रसंतोष व्याप्त है। यद्यपि, भारत शासन ने एक फर्म को मेघनगर में रॉक फासफेट पर ग्राधारित कारखाना डालने हेत् भ्राशय पत्र जारी किया है, किन्तु शासन द्वारा कुछ न कुछ तकनीकी दिकक्तें बताकर इस उद्योग को लगाने में विलम्ब से क्षेत्र में बहुत ही ग्रसंतोष फैल रहा है। यहां तक कि विगत दिनों मेघनगर में र।क फासफेट कारखाना खुलवाने हेतु एक संघर्ष समिति का गठन भी किया गया है तथा संघर्ष समिति द्वारा म्रान्दोलन धरना, चक्का जाम करना स्रादि निर्णय लिए गए हैं एवं यदि इस संबंध में शीध्र ही कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया तो कच्चा माल मेघनगर से बाहर नहीं जाने देने का भी निर्णय लिया है।

ग्रतः शासन यथा श्री ह्य निणंय कर मेघनगर में रॉक फासफेट पर ग्राधारित कारखाना खुलवाने की व्यवस्था करे ताकि इस क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी को दूर किया जा सके एवं ग्रादिवासियों को भी मजदूरी के लिए दर-दर भटकना नहीं पड़े।

(v) Intrusion by foreign fishing Ships in Indian Sea Waters

SHRI N. DENNIS (Nagercoil): Sir, with your permission I want to raise a matter uder rule 377.

It is absolutely essential to stop immediately the interference and acts of 'intrudence' of foreign fishing ships in the sea water of our country causing great alarm and concern to our traditional fishermen. Such acts of 'intrudence' and intereference in our sea water has become a regular act in the Southern Sea waters of our country—Bengal Sea, Arbian Sea and